



318

194

N. 35

प्रालय राजस्व मण्डल समाप्ति ग्रामान्तर कैम्प रीवा (मोप्रो)



- 1- गजरुप चमार पिता किनकू चमार उम्र 65 वर्ष,
 2- रामदीन चमार पिता किनकू चमार उम्र 56 वर्ष,
 3- कामता चमार पिता किनकू चमार उम्र 50 वर्ष
 4- मनफेर चमार पिता किनकू चमार (मृतक)
 4 क- मो तेरसिया पल्ली मनफेर उम्र 60 वर्ष ,
 इ- जगन्नाथ चमार पिता मनफेर चमार उम्र 33 वर्ष,
 घ- शुखेन्द्र चमार पिता मनफेर चमार उम्र 31 वर्ष,
 घ- शिवकुमार चमार पिता मनफेर चमार(मृतक),
 घ-1, रवि पिता शिवकुमार उम्र 9 वर्ष अवश्यक वली संरक्षक बडे पिता
 जगन्नाथ साकेत पिता मनफेर
 5- मातादीन पिता अमीरे चमार उम्र-75 वर्ष,
 6- देवीदीन पिता अमीरे चमार उम्र 65 वर्ष ,

सभी निवासी ग्राम कुशहा 95 थाना सगरा तहसील हुजूर जिला रीवा मोप्रो

आवेदकगण / निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1- विष्णु प्रसाद पिता श्यामलाल उर्फ ददऊ ब्राह्मण ,
 2- रामलाल पिता हरि प्रसाद ब्राह्मण
 3- गणेश प्रसाद पिता नन्दकिशोर ब्राह्मण
 4- अंगिरा प्रसाद पिता सम्पति प्रसाद ब्राह्मण
 5- दिनेश प्रसाद ब्राह्मण पिता सम्पति प्रसाद ब्राह्मण
 6- रामलखन पिता श्यामलाल ब्राह्मण

सभी निवासी ग्राम कुशहा- 95 थाना सगरा तहसील हुजूर जिला रीवा मोप्रो

- 7- शासन मोप्रो द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा, मोप्रो

— अनावेदकगण / गैरनिगरानीग्रहितागण

स्वमेव निगरानी बावत् निरस्त किये जाने अनाधिकृत एवं अवैध इन्द्राज भूमि पुराना खोनो 2/1.12, 9/5.32, 15/2.99, 16/3.24 एवं 92/1.52 ए कुल 05 किमी रकवा 14.19 एक्झिसका नया खोक्रो 24, 31, 32, 33, 120, 121, 122, 123, 124, 02 एवं 09 स्थित ग्राम कुशहा 95 पटवारी हल्का लौआ (लक्षणपुर), तहसील हुजूर, जिला रीवा (मोप्रो) स्वमेव निगरानी अन्तर्गत धारा-50 मो प्रो भू0 रा0 सं0 1959 ई0

कुशहा 95
25 श्रृंग 2017
22/3/2017
25 श्रृंग

B

ग्रामसंप्र

८।

।.

पार्टी का ०२

०१. राजनीति के बारिखान निवासी उसारु
०२. रामलाल प्रांत उम्मा ४० साल
०३. इन्द्रभण्ड उसाद तनय रामलाल ब्रां ३० साल
०४. सलोष कुमार तनय रामलाल ब्रां ३० साल
सभा निवासी आम क्षेत्र-७५ चाना कपरा तह ० हजार
जिला - झीला (म०.उ०)
०१ के गज

कृष्ण
श्री
२२/३
२५/३

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

क्रमांक R: 3112-II/12 जिला- रीवा

गजरूप चमार विरुद्ध वशीष्ठ प्रसाद बंगेर

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. श्री. शुभेशी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक ०७/३-१९/स०ग्नि०७५८७ में पारित आदेश दिनांक २९.०५.१२ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २६.०३.१९ को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">✓ सदस्य</p>	

31, 32, 33, 120, 121, 122, 123, 124, 02 एवं 09
स्थित ग्राम कुशाहा 95 पटवारी हल्का लौआ
(लक्ष्मणपुर), तहसील हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०) स्वमेव
चिगरानी अन्तर्गत धारा-50 म० प्र० भू० रा० स०
1959 ई०

गजरूप